

634/2025

योगेश उपायवाजी आदिल

हुक्म-या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

संख्या व तारीख
अदालत को प्राप्त
हुक्म की तारीख
यं जारी हुए

26

पत्रावली सिंगेट से वादी द्वारा शर्मा का पत्र आने बाद
 निम्न किये जाने हेतु पेश किये जाने से तलब की गई।
 वादी एवं वादी अधिवक्ता (उप.) वादी एवं वादी अधिवक्ता
 द्वारा शर्मा का पत्र उत्पन्न किये हुए निवेदन किया कि
 वादी एवं शर्मा की गण के मध्य शकीनामा हो
 चुका है, कोई विवाद नहीं रहा है। अतः कोई विवाद
 नहीं रहने से वादी बाद में कोई कार्रवाई नहीं
 चाहता है। अतः वादी का बाद विद्वे करने की
 अनुमति उद्घोष कर बाद को वादिव करने की वृत्ति
 कर्तव्य। वादी द्वारा अधिवक्ता पर एकाक्षर किये
 गये एवं वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा
 की गई। वादी द्वारा वादी एवं शर्मा की गण के मध्य
 शकीनामा हो जाने से वाद को विद्वे करने का शर्मा
 पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय से उपरान्त
 सुनाया गया। पत्रावली फौजल शुमार होकर काफिल
 दाखल हो और नम्बर से कम हो।

~~2000~~
 9/3/26
 Telebyguc
 24
 9/3/26


 9/3/26

सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा